/

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप–6) विभाग

क्रमांकः प.13(1)राज–1/2020 **जयपुर, दिनांक : 05/12/2023**

–: परिपत्र :–

विभाग में वर्तमान में लागू ऑनलाईन नामांतकरण प्रक्रिया को और पारदर्शी एवं नामान्तकरणों के त्वरित व समयबद्ध निस्तारण करने के उद्धेश्य से राजस्थान भू–राजस्व (भू–अभिलेख) नियम 1957 के नियम 169 एल में निर्हित प्रावधानों में रजिस्टर्ड दस्तावेजो एवं विरासत के नामान्तकरणों में निम्नानुसार नवीन व्यवस्था की जाती हैं।

I. रजिस्टर्ड विक्रय दस्तावेज के आधार पर नामान्तकरण एवं जमाबन्दी में अंकन :–

1. पंजीयन विभाग में विक्रय दस्तावेज पंजीयन होने के साथ ही ई–धरती पोर्टल के माध्यम से ही नामान्तकरण दस्तावेज तैयार किया जावेगा तथा उक्त नामान्तकरण को ऑनलाईन ही निबंधक/उप–निबंधक, राजस्व मण्डल को जारी Server certification द्वारा स्वतः स्वीकृत किया जावेगा।
2. उक्त स्वीकृत नामान्तकरण के आधार पर जमाबन्दी में आवश्यक इन्द्राज ऑनलाईन स्वतः (Auto) दर्ज किये जायेगे।

II. विरासत रहन, रहनमुक्त आदि के नामान्तकरण :–

1. विरासत, रहन, रहनमुक्त आदि के नामान्तकरण संबंधित आवेदक द्वारा अपना खाता पोर्टल अथवा ई–मित्र के माध्यम से प्रस्तुत किये जायेगे।
2. विरासत आदि के नामान्तकरण ई–मित्र एवं अपना खाता पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन ही संबंधित पटवार मण्डल के पटवारी की आई–डी पर प्रदर्शित होगे।
3. पटवारी द्वारा उक्त आवेदन/नामान्तकरण पर अधिकतम 05 दिवस की अवधि में जांच कार्यवाही किया जाकर संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच/तहसीलदार की आई–डी पर ऑनलाईन अग्रेषित करना होगा। पटवारी द्वारा उक्त अवधि में निस्तारित नहीं किये जाने पर आवेदन पत्र स्वतः ही (Auto Forward) होकर संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच की आई–डी पर अग्रेषित हो जायेगा।
4. संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच द्वारा उक्त नामान्तकरण को अधिकतम 20 दिवस में निस्तारित करना आवश्यक होगा। सरपंच द्वारा निर्धारित 20 दिवस की अवधि में नामान्तकरण का निस्तारण नहीं किये जाने पर उक्त नामान्तकरण संबंधित तहसीलदार की आई–डी पर स्वतः ही (Auto Forward) होकर स्थानान्तरित हो जायेगा।
5. तहसीलदार द्वारा नामान्तकरणों को 07 दिवस में निस्तारित किया जाना आवश्यक होगा। तहसीलदार द्वारा उक्त नामान्तकरणों को 07 दिवस में निस्तारित नहीं किये जाने पर स्वतः ही Auto Lock होकर स्वतः स्वीकृत हो जायेगा।

Signature valid
Digitally signed by Mohan Dan Ratanoo
Designation : Deputy Secretary To Government
Date: 2023.12.05 15:56:27 IST
Reason: Approved

III. निबंधक, राजस्व मण्डल द्वारा ऑनलाईन नामान्तरकरण की उक्त प्रक्रिया हेतु प्रत्येक पटवारी / नायब तहसीलदार / तहसीलदार / सरपंच ग्राम पंचायत की SSO ID का ई-धरती सॉफ्टवेयर पर मैंपिग करवाया जायेगा।

उक्त ऑनलाईन नामांतकरण प्रक्रिया को दिनांक 07.12.2023 से समस्त ऑनलाईन तहसीलों में प्रारम्भ किया जायेगा।

(एम0डी0 रत्नू)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्व विभाग
2. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग
3. निबंधक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर
4. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान
5. महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग अजमेर
6. आयुक्त, भू-प्रबन्ध विभाग राजस्थान, जयपुर
7. समस्त संयुक्त शासन सचिव / उप शासन सचिव, राजस्व विभाग
8. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, NIC जयपुर
9. श्री अरूण माथुर, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, NIC जयपुर
10. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, राजस्व विभाग
11. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, राजस्व मण्डल अजमेर
12. रक्षित पत्रावली

शासन उप सचिव

Signature valid
Digitally signed by Mohan Dan Ratanoo
Designation : Deputy Secretary To Government
Date: 2023.12.05 16:56:27 IST
Reason: Approved